

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/14-पार्ट

जयपुर, दिनांक

15 SEP 2014

— आदेश —

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किये जाते हैं -

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व प्रदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	42/2005	श्रीमती शुभांगी चौहान नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/64 गांधीनगर	31.12.2014
2	82/09	श्री दिनेश शर्मा कनिष्ठ लिपिक प्राविधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	4-सी-21 गांधीनगर बहुमंजिला	30.9.2024
3	61/2010	श्री अनिल कुमार भारद्वाज कनिष्ठ लिपिक कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी, जयपुर	4/45 गांधीनगर	30.9.2031
4	87/2010	श्री भूदेव नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/55 गांधीनगर	30.4.2038
5	88/2010	श्री करणी राम चिरानियां नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/68 गांधीनगर	31.3.2044
6	89/2010	श्री प्रमोद कुमार नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/79 गांधीनगर	31.5.2046
7	90/2010	श्री प्रमोद बिजारनियां नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/94 गांधीनगर	31.7.2043
8	92/2010	श्री लक्ष्मण सिंह नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/96 गांधीनगर	31.5.2040
9	94/2010	श्री प्रकाश राम विश्णोई सहायक उप निरीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर	4/177 (पुराना नम्बर एफ-990) गांधीनगर	30.6.2040
10	95/2010	श्री विजय कुमार जैन कनिष्ठ लेखाकार कोषाधिकारी, कोषालय, सचिवालय, जयपुर	4/148 (पुराना नम्बर एफ-929) गांधीनगर	31.7.2026
11	96/2010	श्री महेश कुमार त्रिवेदी छायाकार उप निदेशक (प्रशासन) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर	4/169 (पुराना नम्बर एफ-982) गांधीनगर	30.11.2018
12	97/2010	श्री इन्दु सिंह सहायक कृषि अधिकारी उप निदेशक उद्यान (पौध-व्याधि) आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, जयपुर	4/82 गांधीनगर	31.3.2044

13	98/2010	श्रीमती नीलम नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/84 गांधीनगर	29.2.2040
14	99/2010	श्री सीता राम मीणा कानि0 नम्बर 369 मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर	4/85 गांधीनगर	31.5.2016
15	100/2010	श्री धर्मन्द्र यादव उप निरीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर	4/100 गांधीनगर	31.7.2034
16	103/2010	श्री मनीष माहेश्वरी कनिष्ठ लिपिक प्रधानाचार्या शहीद ले. अभय पारीक, रा0बा0उ0मा0 विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर	4/111 गांधीनगर	31.7.2038
17	105/2010	श्री मुकेश चन्द्र व्यास कनिष्ठ लेखाकार अतिरिक्त निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	4/140 गांधीनगर	31.5.2030
18	193/2010	श्री सवाई सिंह शेखावत वरिष्ठ लिपिक कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/102 गांधीनगर	31.1.2033
19	195/2010	सुश्री पारूल प्रधान वरिष्ठ लिपिक श्रम एवं नियोजन विभाग शासन सचिवालय जयपुर	4/115 गांधीनगर	31.7.2043
20	197/2010	श्री भगवान सहाय यादव वरिष्ठ लिपिक मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर	4/36 गांधीनगर	30.11.2042
21	200/2010	श्री गोपाल सिंह वरिष्ठ लिपिक शिक्षा (गुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/126 गांधीनगर	30.9.2040
22	208/2010	श्री रतन लाल यादव वरिष्ठ लिपिक गृह(गुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/83 गांधीनगर	30.11.2037
23	215/2010	श्री आबिद हसन भाटी वरिष्ठ लिपिक उच्च शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/110 गांधीनगर	30.4.2043

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा नेवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

- 67
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा; अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
 8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
 9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
 10. क्रम संख्या 2 पर अंकित आवंटी से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 150/- (अक्षरे एक सौ पचास रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी, जयपुर।
6. अधीक्षक/नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
7. प्राविधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर।
9. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. उप निदेशक (प्रशासन), सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. उप निदेशक उद्यान (पौध-व्याधि), आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, जयपुर।
12. प्रधानाचार्या, शहीद ले. अभय पारीक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर।
14. वित्तीय सलाहकार/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
16. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त 6 की पालना को भी अमल में लावें।
- ✓ 17. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
18. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0-खण्ड-तृतीय/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर, जयपुर।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लोकबोर्ड पर चस्पा करावें।
20. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।

मु 2m

(मुन्नालाल शर्मा)

सहायक शासन सचिव

15/9/14